

रजि. नं. 27 / 1979-80

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DR. ABDUL WAHEED (KOTA) MEMORIAL
DARUL-ULOOM AHLE-HADEES
JODHPUR (RAJASTHAN)**

Date 31/05/2022



ڈاکٹر عبدالوحید (کوٹہ) میموریل،
دارالعلوم اہل حدیث جودھپور (راجستھان)
فرع الجامعة السلفية مرکزی دارالعلوم بنارس، (یوپی)

20 40 - 05/2022

सेवा में,

आदरणीय श्रीमान् अशोक गहलोत साहब,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

Handwritten notes and signatures:
29/6/2022
2015 Pality
कु आवल कल
रु VDH
मिनार

विषय—डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर
रजि नं. 27/1979-80 को ग्राम चौखरा के खसरा नम्बर 699 रकबा 10
बीघा 19 बिस्वा भूमि शैक्षणिक एवं विभिन्न कार्य हेतु आवंटन करने बाबत।

मान्यवर जी,

उपरोक्त विषय में प्रबंधक कमेटी डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम
अहले हदीस जोधपुर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि—

1. यह है कि उपरोक्त संस्था एक शैक्षणिक संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें, हॉस्टल, मदरसा व खेलकूद इत्यादि संचालित कर शिक्षा की दृष्टि से पिछले समाज के गरीब बच्चे-बच्चियों और यतीम बच्चों को निशुल्क शिक्षा समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों के दान के माध्यम से उपलब्ध करवाती है।
2. यह है कि उक्त संस्था में वर्तमान में ब्ल्यू हेवन पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हो रहा है।
3. यह है कि उक्त संस्था में वर्तमान में 400-500 बच्चे व बच्चियाँ अध्ययनरत हैं तथा राजस्थान मदरसा बोर्ड से एवं राजस्थान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा स्कूल मदरसा बोर्ड में पंजीबद्ध है जिसके पंजीयन संख्या 2949 दिनांक 27.07.2010 है।

लगातार.....2

OLD BUILDING : Pali Ki Haveli, Mahaveer Market,
Inside Sojati Gate, Jodhpur
NEW BUILDING : Chokha Gangana Road, Jodhpur

پرانی عمارت: پالی کی حویلی، ماہویر مارکیٹ، سو جتی گیٹ کے اندر جودھپور

نئی عمارت: چوکھا گنگانا روڈ، جودھپور

4. यह है कि उक्त संस्था सन् 1979 से ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 699 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा पर काबिज है जहां पर संस्था का स्कूल भवन, हॉस्टल भवन एवं मदरसा, लाईब्रेरी व खेल मैदान इत्यादि का निर्माण कार्य करवाया गया है तथा उक्त भूमि के चारों तरफ चार दीवारी का भी निर्माण करवाया गया है तथा जेडीए द्वारा कार्य आदेश में कुछ काम हुआ, लेकिन सरकार परिवर्तन होने से पिछली सरकार द्वारा द्वेषभावना से काम रोक दिया गया है तथा जेडीए जोधपुर द्वारा दिनांक 20.06.2013 को रुपये 62,22,317/- रु. छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी, जिसका टेण्डर मैसर्स टी.एस.एफ. इन्टरप्राइजेज को दिया गया था। इस प्रकार उक्त संस्थान में सरकार द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य करवाया गया था।
5. यह है कि खसरा संख्या 699 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा की भूमि पूर्व में श्रीमती मेहरा पत्नी श्री गुलाम खान निवासी गंगाणा इत्यादि के काश्त कब्जे की थी, जिसको श्रीमती मेहरा वगैराह ने उक्त संस्था को सन् 1970 में सुपुर्द कर दी गई थी तब से उक्त भूमि संस्था के अधीन चल रहे विभिन्न शैक्षणिक कार्य हेतु उपयोग उपभोग में आ रही है।
6. यह है कि जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा अगस्त 1997 में ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 699 व अन्य खसरान की भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर को सेटअपाट कर दी गई थी, उस वक्त भी उक्त संस्था मौके पर काबिज थी, क्योंकि पूर्व में काबिज काश्तकारों ने उक्त खसरे की भूमि उक्त संस्था को हस्तान्तरित कर दी थी।
7. यह है कि उक्त संस्था रजिस्ट्रार संस्थाए, राजस्थान जयपुर के यहां पंजीकृत है जिसके पंजीयन क्रमांक 27/1979-80 है तथा संस्था के पंजीकृत विधान के अनुसार संस्था का संचालन किया जाता है तथा विधान के अनुसार चुनाव कराये जाते हैं तथा जो भी लेनदेन होता है वो चैक के जरिये होता है। जिसके आय व्यय का हिसाब किताब का हर साल विधिवत ऑडिट की जाती है। इस प्रकार उक्त संस्था भूमि आवंटन हेतु हर प्रकार से पात्रता रखती है तथा उक्त भूमि पर पिछले लम्बे समय से बिना किसी रोक टोक, शांतिपूर्ण तरीके से काबिज है तथा उक्त भूमि पर संस्था द्वारा बिल्डिंग इत्यादि का भी निर्माण करवाया जाकर शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है। इसलिए उक्त संस्था के अधीन चल रहे निम्न कार्य हेतु भूमि आवंटन की जाना आवश्यक है।

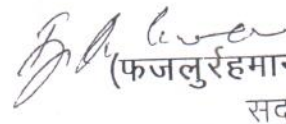
1. मदरसा डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर हेतु 04 बीघा।
2. स्कूल एवं प्ले ग्राउण्ड डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर राजस्थान मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जिसके पंजीयन संख्या 2949/2010 हेतु 4 बीघा।
3. छात्रावास (लड़के/लड़कियाँ) डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर हेतु 02 बीघा 19 बिस्वा।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम चौखा जिला जोधपुर के खसरा संख्या 699 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन/नियमन किया जाकर डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर पंजीयन नम्बर 27/1979-80 एवं मदरसा बोर्ड पंजीयन संख्या 2949 दिनांक 27.07.2010 के हक में आवंटन करने का आदेश प्रदान करावें।

संलग्न-

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 27/1979-80
2. संस्था का पंजीकृत विधान की प्रति।
3. राजस्थान मदरसा बोर्ड पंजीयन क्रमांक 2949/27.07.2010
4. प्रबंधक कमेटी की सूची 01.10.2020
5. ऑडिट रिपोर्ट 2018 से 2021
6. जिला कलक्टर जोधपुर का सेटपाट आदेश अगस्त 1997
7. संस्था के भवनों का नक्शा।
8. जेडीए द्वारा छात्रावास निर्माण का आदेश 20.06.2013
9. बिजली का बिल।
10. जमाबंदी की नकल।

भवदीय


(फजलुर्रहमान खिलजी)

सदर

मो.नं. 9694774788

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 321/1979-80

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा० अब्दुल वहीद कोटा मेमो-
रियल दस्तखतम वहे हदीस

सोसाइटी, जोधपुर जिला जोधपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक सत्ताईस माह अक्टूबर सन् एक हजार नौ सौ उनासी को
जयपुर में दिया गया।



म. म.
॥ अमोलकचंद जैन ॥
रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,
जयपुर।

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

(G2)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DR. ABDUL WAHEED (KOTA) MEMORIAL
DARUL-ULOOM AHLE-HADEES
JODHPUR (RAJASTHAN)**



ڈاکٹر عبدالوحید (کوٹہ) میموریل،
دارالعلوم اہل حدیث جودھپور (راجستھان)
فرع الجامعة السلفية مرکزی دارالعلوم بنارس، (یوپی)

Date _____

شاپथ-پत्र

میں فجلورہمان خیلجی پیتا موہممہد، عمر 85 वर्ष، جاتی-مسلمان، پتا-घोड़ों का चौक, रामदेवरा की गली, जोधपुर ने जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर हेतु 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि सामुदायिक भवन प्रयोजन के आवंटन हेतु नवीन आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। संस्थान ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. उक्त संस्थान के पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स निम्नलिखित हैं:-

i. फजलुर्रहमान खिलजी	अध्यक्ष
ii. एम. ए. फारुक	सचिव
iii. मोहम्मद सलीम मदावत	कोषाध्यक्ष
iv. अब्दुल हनान कुरेशी	सदस्य
v. डॉ. गुलाम रब्बानी	सदस्य
vi. अब्दुल रहीम मोदी	सदस्य
vii. अब्दुल मजीद	सदस्य
viii. अब्दुल वहीद अंसारी	सदस्य
ix. डॉ. मोहम्मद रफीक	सदस्य
x. सनाउल्लाह	सदस्य

उक्त सभी पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं एवं इनके विरुद्ध आपराधिक/आर्थिक अपराध से संबंधित कोई प्रकरण लंबित/निर्णित/विचाराधीन/दर्ज नहीं है।

- उक्त समस्त पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स की कोई बकाया राशि प्राधिकरण में वसूली योग्य लंबित नहीं है।
- उक्त संस्था को राज्य सरकार अथवा किसी भी निकाय द्वारा पूर्व में कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।
- आवेदिक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्थान से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है।
- उक्त संस्थान द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं उसके साथ दिये गये समस्त सूचनायें एवं दस्तावेज सही एवं सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार की सूचना अथवा दस्तावेज असत्य/गलत/झूठे पाये जाने पर भूमि आवंटन निरस्त कर दी जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

गवाह-1

गवाह-2



[Signature]
हस्ताक्षर शपथकर्ता

OLD BUILDING : Pali Ki Haveli, Mahaveer Market,
Inside Sojati Gate, Jodhpur
NEW BUILDING : Chokha Gangana Road, Jodhpur

پرائی عمارت: پالی کی حویلی، مہاویر مارکیٹ، سو جتی گیٹ کے اندر جودھپور

نئی عمارت: چوکھا گنگانا روڈ، جودھپور

सार्वजनिक, सामाजिक संस्थाओं/एनजीओ/निजी स्कूल/निजी चिकित्सालय आदि के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं चैक लिस्ट:-

चैक लिस्ट

क्र.सं.	विषय वस्तु	विवरण अंकित करें
1.	आवेदन-पत्र का प्रारूप (✓) का निशान लगाये।	अ/ब/स/द
2.	आवेदित संस्था का नाम एवं पता अंकित करें	डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर, खसरा नम्बर 699, ग्राम चौखा, जिला जोधपुर
3.	संस्था का रजिस्ट्रेशन का विवरण अंकित करें	रजि. नं. 27/1979-80
4.	आवेदित भूमि का विवरण अंकित करें (अ) ग्राम- (ब) ख.नं.- (स) कुल रकबा- (द) किस्म- (य) आवेदित रकबा-	चौखा 699 10 बीघा 19 बिस्वा शिक्षण एवं प्रशिक्षण 10 बीघा 19 बिस्वा
5.	भूमि आवंटन का प्रयोजन अंकित करें।	शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र
6.	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें। I. रजिस्ट्रेशन/प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि II. बाईलॉज/रेग्यूलेशन की प्रतिलिपि III. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट/बैलेन्स शीट वर्ष की प्रतिलिपियाँ IV. संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लिया गया प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो। V. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) जिसमें चाही गयी भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत विवरण अंकित हो एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेश हो संलग्न करें। (2.6) a) भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन b) परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता। c) उस पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण मय निर्मित क्षेत्रफल d) वित्तिय लागत अनुमान e) भवन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।	1. वर्ष 2018-19 2. वर्ष 2019-20 3. वर्ष 2020-21 प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत व्यक्ति का नाम फजलुर्रहमान खिलजी एवं पदनाम अध्यक्ष शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र 10 बीघा 19 बिस्वा 25000 स्केवर फीट 5,00,00,000/- स्कूल, खेल मैदान व छात्रावास

f) निर्माण शुरू करने एवं पूरा किये जाने का निर्धारित समय g) परियोजना के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधन VI. प्रोजेक्ट से समाज के किन वर्गों को लाभ मिलेगा तथा किस प्रकार से मिलेगा का विवरण संलग्न करें। (2.8) VII. अनुभव एवं वित्तीय मापदण्ड की सूचना/विवरण संलग्न करें, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश हो:- (2.5) a) पूर्व में किये गये कार्यों का विवरण मय लागत b) वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति तथा इसके समाज को लाभ का विवरण c) प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता d) संस्था की आर्थिक स्थिति e) प्रस्तावित कार्य हेतु राशि की आवश्यकता एवं आवश्यक राशि किस स्रोत से प्राप्त होगी। VIII. आवेदक संस्थान को राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से कहीं भी भूमि प्राप्त हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा उसके उपयोग की वर्तमान स्थिति व विवरण प्रस्तुत करें। (2.7) IX. आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न करें। X. आवेदन संस्था के पदाधिकारी/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके सारख संबंधी विवरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें। XI. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण XII. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण संलग्न करें। यदि सहायता प्राप्त नहीं की जा रही हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करें। XIII. आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न कर विवरण अंकित करें।	1 वर्ष सरकार, संस्था व समाज से सहायता राशि से आर्थिक कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कला शिक्षा का शिक्षक-प्रशिक्षण। बच्चों को निःशुल्क शिक्षण-प्रशिक्षण देना। जमा है-2500000 समाज से, सरकार से, संस्था से नहीं शपथ पत्र संलग्न है। नहीं शपथ पत्र संलग्न है। ड्राफ्ट संख्या-016425 दिनांक 02.07.2022 राशि- 5,000/- बैंक का नाम-बॉम्बे मर्कनटाईल को-ऑप बैंक लि.
---	--

7.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य/ प्रयोजन तथा आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के अन्तर्गत यह आवेदन आता है। उक्त बिन्दु के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की निर्धारित सीमा	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हेतु	2000 वर्गमीटर तक
		माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु	4000 वर्गमीटर तक
		निशक्तजन/मूक-बधिरों के विद्यालय हेतु	2000 वर्गमीटर तक
		छोटे अस्पताल (25-50 शैयाओं तक)	3000 वर्गमीटर तक
		सामुदायिक केन्द्र	1500 वर्गमीटर तक
		वृद्धाश्रम/अनाथ आश्रम	1000 वर्गमीटर तक
		वाल्मिकी भवन, कुष्ठाश्रम, प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, धर्मशाला, कामकाजी महिला छात्रावास, रैन बसेरे, बस शेल्टर	1000 वर्गमीटर तक
		श्मशान, कब्रिस्तान	3000 वर्गमीटर तक
8.	यदि आवंटन नीति के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है तो अधिक क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का औचित्य प्रस्तुत करें।	नहीं	
9.	क्या संस्था को पूर्व में इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी, यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल अंकित करें।	नहीं	
10.	आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों पर अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रमाणीकरण है अथवा नहीं।	हाँ	

अति


आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं / संगठनों / सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) फजलुर्रहमान खिलजी, अध्यक्ष
3. डाक पता, टेलीफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आईडी अब्दुल रहीम मोदी, मोदी टॉवर, सोजती गेट के अन्दर, पुराने नगर निगम के सामने, जोधपुर, राजस्थान 342001
9828127922
स्कूल, खेल मैदान व छात्रावास
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) संलग्न है।
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले 48 रुम, 4 हॉल, 30 टॉयलेट, 15 बाथरूम प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक सलग्न है। का डी.डी./पे-ऑर्डर जो संबंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिकाधिकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक.....

स्थान.....

नाम व पद-फजलुर्रहमान खिलजी, अध्यक्ष

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता



(67)

प्रपत्र-1

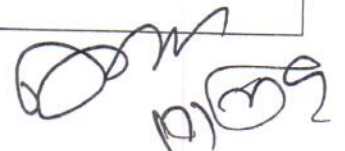
नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	फजलुर्रहमान खिलजी
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	खसरा नं. 699, ग्राम चौखा, जिला-जोधपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	खसरा नम्बर 699, गंगाणा रोड़ रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा
आवेदनकर्ता संस्थान के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	रजि. नं. 27/1979-80 दिनांक 27.10.1979
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा-जोखा	संलग्न है।
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न है।
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	स्कूल, खेल मैदान व छात्रावास निर्माण लागत-50000000/-

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	गरीब, मध्य वर्ग को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोर्मस	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं की गई
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	रियायती दर पर
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	नहीं
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	नहीं
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	नहीं
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	स्थानीय सीमा में
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	



यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	सेवा
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
अन्य विवरण	


महोदय

**DR. ABDUL WAHEED (KOTA) MEMORIAL
DARUL-ULOOM AHLE-HADEES
JODHPUR (RAJASTHAN)**



ڈاکٹر عبدالوحید (کوٹہ) میموریل،
دارالعلوم اہل حدیث جودھپور (راجستھان)
فرع الجامعة السلفية مرکزی دارالعلوم بنارس، (یوپی)

Date _____

شپथ-پत्र

میں فجلورہمان خیلجی پیتا موہممد، عمر 85 वर्ष، جاتی-موسلمان، پتا-घोड़ों का चौक, रामदेवरा की गली, जोधपुर ने जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में डॉ. अब्दुल वहीद (कोटा) मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस जोधपुर हेतु 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि कला शिक्षा का प्रशिक्षण व छात्रावास इत्यादि प्रयोजन के आवंटन हेतु नवीन आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। संस्थान ने भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि—

1. उक्त संस्थान के पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स निम्नलिखित हैं:-

i. फजलुर्रहमान खिलजी	अध्यक्ष
ii. एम. ए. फारुक	सचिव
iii. मोहम्मद सलीम मदावत	कोषाध्यक्ष
iv. अब्दुल हनान कुरेशी	सदस्य
v. डॉ. गुलाम रब्बानी	सदस्य
vi. अब्दुल रहीम मोदी	सदस्य
vii. अब्दुल मजीद	सदस्य
viii. अब्दुल वहीद अंसारी	सदस्य
ix. डॉ. मोहम्मद रफीक	सदस्य
x. सनाउल्लाह	सदस्य

उक्त सभी पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं एवं इनके विरुद्ध आपराधिक/आर्थिक अपराध से संबंधित कोई प्रकरण लंबित/निर्णित/विचाराधीन/दर्ज नहीं है।

2. उक्त समस्त पदाधिकारी/सदस्य/प्रमोटर्स की कोई बकाया राशि प्राधिकरण में वसूली योग्य लंबित नहीं है।
3. उक्त संस्था को राज्य सरकार अथवा किसी भी निकाय द्वारा पूर्व में कोई भूमि आवंटन नहीं की गई है।
4. आवेदिक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्थान से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की जा रही है।
5. उक्त संस्थान द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र एवं उसके साथ दिये गये समस्त सूचनायें एवं दस्तावेज सही एवं सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार की सूचना अथवा दस्तावेज असत्य/गलत/झूठे पाये जाने पर भूमि आवंटन निरस्त कर दी जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

गवाह-1 हस्ताक्षर शपथकर्ता
गवाह-2
- D-1/59 KNN जफरुल

OLD BUILDING : Pali Ki Haveli, Mahaveer Market,
Inside Sojati Gate, Jodhpur
NEW BUILDING : Chokha Gangana Road, Jodhpur

پرانی عمارت: پالی کی حویلی، مہاویر مارکیٹ، سو جتی گیٹ کے اندر جودھپور

نئی عمارت: چوکھا گنگانا روڈ، جودھپور

**DR. ABDUL WAHEED (KOTA) MEMORIAL
DARUL-ULOOM AHLE-HADEES
JODHPUR (RAJASTHAN)**

Date 10/06/2022



ڈاکٹر عبدالوحید (کوٹہ) میموریل،
دارالعلوم اہل حدیث جودھپور (راجستھان)
فرع الجامعة السلفية مرکزی دارالعلوم بنارس، (یوپی)

مینٹس آف میٹینگ

آج دیناںک 10 جून 2022 کو جناب فجلورہمان ساہب کی अध्यक्षता में एक मिटिंग मुनअकिद हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये—

जनाब अब्दुल्लाह फारुक साहब ने शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की जमीन जो की चौखा (खसरा सं. 699) में स्थित है।

उसके जमीन आवंटन की कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसको जनाब अब्दुरहीम साहब मोदी ने समर्थन दिया एवं यह तय किया कि जनाब फजलुरहमान साहब को इस संस्थान की भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जावे, जिसको जनाब फजलुरहमान साहब ने स्वीकार किया।

संस्थान की जमीन जिसका माप 10 बीघा 19 बिस्वा है। उस पर राज्य सरकार के नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रावधान नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जावे।

मीटिंग समाप्ति की घोषणा की गयी।

[Signature]

[Signature]